(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत दर्ज किये गये मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र उपक्रमों फैक्ट्रियों, वाहनों, तेलशोधक कारखानों, इस्पात संयंत्रों के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने के लिए मामले उक्त अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है, जिनके संदर्भ में न्यायालयों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध निर्णय दिये हैं; और

(ङ) 31 अक्तूबर, 1997 की तिथि के अनुसार विचारण हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Conversion of Classified Forest Land in Andhra Pradesh

1060. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the extent of land permitted by Government to be converted from forest classification to non-forest classification in Andhra Pradesh in the last five years;

(b) the details of applications pending with Government from Andhra Pradesh;

(c) whether any time-bound rule for clearance is there; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) During last five years 3044.50 ha. of forest land had been permitted for diversion for non-forest purposes by the Ministry of Environment and Forests under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 in Andhra Pradesh.

(b) Twenty one applications are pending with this Ministry for forest clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 from Andhra Pradesh.

(c) Yes, Sir.

(d) Under the Forest (Conservation) Act, 1980 guidelines, specific time limits have been prescribed for disposal of the proposals. As per these guidelines, the State Government should make efforts to dispose a reference at its level within a maximum period of 60 days. In respect of Central Government, these guidelines provide that cases, which are complete in all respects shall be disposed of within 90 days.

भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, कोरबा के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उल्लंघन के मामले

1061. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन कोरबा के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बोर्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन के कार्यकरण के संबंध में संसदीय समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन, कोरबा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बालको ने अपने एल्यूमिना, स्मैल्टर और फैब्रिकेशन संयंत्रों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित की हैं। इस उद्योग ने अपने खनन और संयंत्र क्षेत्रों में लगभग 85000 वृक्ष लगाए हैं। उद्योग ने प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय

पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा तैयार की गई पर्यावरणीय प्रबंध योजना को लागू किया है।

(घ) स्मैल्टर के आधुनिकीकरण के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कार्य को तेजी से करवाने के लिए संसदीय समिति के शिष्टमंडल द्वारा दिए गए सुझाव को लागू कर दिया गया है।

New Technology for Purifying Waste Water

1062. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Houseman Ltd. U.K. and an Indian Company, M/s. Aquafarm Chemicals Ltd., Pune, have developed a new technology of purifying the waste water; and

(b) if so, whether Government will make the use of this technology mandatory for habitual water polluting industries which has affected the use of potable water especially in rural India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BUBULAL MARANDI): (a) and (b) No information about the new technology of purifying the waste water has been made available by the company to the Maharashtra Pollution Control Board and the Ministry of environment & forests. As a matter of policy, the Ministry of environment & Forests normally does not prescribe any proprietry technology of a particular company. Industries are required to conform to the prescribed environmental standards by adopting suitable treatment technology.

कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जहर देकर बाघों को मारा जाना

1063. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य में वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से बाघों को जहर देकर मारने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष में इस प्रकार से मारे गए बाघों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि बाघों की खालों की विश्व बाजार में भारी मांग है और इनकी बहुत ऊंची कीमत मिलती है;

(घ) क्या बाघों की खालों के अवैध व्यापार में अभ्यारण्य के अधिकारियों की मिलीभगत की बातें चर्चा में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बाहर दो बाघों को जहर देकर मारने की घटनाएं सूचित की गई हैं। तथापि, इन घटनाओं में अभ्यारण्य के किसी भी अधिकारी की मिलीभगत देखने में नहीं आई है।

(ग) जी, हां, विश्व बाजार में बाघ के शरीर के अंगों की भारी मांग के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(घ) जी, नहीं। बाघ की खालों के अवैध व्यापार में अभ्यारण्य के किसी अधिकारी की मिलीभगत का कोई संयुक्त नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Legislation to Protect Bio-Diversity

1064. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are bringing in a legislation to protect our bio-diversity;

(b) whether this legislation is in conformity with that drafted by the previous regime;

(c) if so, what are its major similarities, and

(d) if not, how does it differ from the previous draft?

242RS-2R